न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन (करौली)

पीठासीन अधिकारी :—हेमराज गुर्जर (आरएएस)

प्रकरण सख्या:—191 / 2007 दायर दिनांक:— 11.12.2007

जीसीएमएस नं. 2007 / 00050

उनवान

रामस्वरूप पुत्र लोटू जाति मीना निवासी कालाखाना तहसील हिण्डौन जिला करौली राजस्थान

—वादी

बनाम

राज. सरकार जरिये जिला कलक्टर जिला करौली राज0

—प्रतिवादीगण—03

दावा बाबत इस्तकरारहक, इन्द्राज दुरस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांक:— 8-7-24

संक्षिप्त मामला इस प्रकार है कि उक्त प्रकरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 136, 188 के तहत दर्ज किया गया था उक्त प्रकरण में वादीगण एवं वादीगण वकील आज दिनांक को उपस्थित नहीं प्रकरण में बार—बार वादीगण एवं वादीगण वकील को आवाज दिलवाई गयी आवाज दिलवाने के बाबजूद वादीगण एवं वादीगण वकील उपस्थित नहीं। प्रकरण दिनांक 11.03.2008 से आज दिनांक तक तलवाना में विचाराधीन है। जिससे जाहिर होता है कि वादीगण एवं वादीगण वकील प्रकरण को आगे चलाने में रूचि नहीं ले रहे है। वादीगण एवं वादीगण वकील द्वारा न्यायालय आदेशों की अवहेलना की जा रही है। अतः मुकदमा न0 191 / 2007 रामस्वरूप बनाम सरकार आदेश 9 नियम 5 सीपीसी के तहत अदम हाजिरी व अदम तकमील / पालना में खारिज किया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 08.07.2024 को न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.07 17:53:50 IST
Reason: SelfAttested

(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन, जिला करौली